# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1408/2024**

रियाजुद्दीन उस्मानी **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. संयुक्त शासन सचिव, (वित्त) (आबकारी), सचिवालय, जयपुर (राज.)।
4. आबकारी आयुक्त, राजस्थान आबकारी भवन, 2–गुमनियावाला, पंचवटी, उदयपुर (राज.)।
5. श्री राधेश्याम देलू, अतिरिक्त आई.जी. स्टाम्प वर्तमान में जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर (राज.) पदस्थापित।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 15.03.2024
**आदेश की दिनांक** : 02.04.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री नजीब अनवर खान, अभिभाषक

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर आबकारी भवन, जयपुर रोड, अजमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को रिक्त पद दर्शाते हुये जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर पदस्थापित किया गया है। जबकि उक्त पद पर अपीलार्थी आदेश दिनांक 05.06.2020 के द्वारा पदस्थापित किया गया था। परंतु

आलोच्य आदेश के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। उनका कथन है कि दिनांक 08.01.2021 की पालना में श्री विशाल दवे द्वारा जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर के पद पर कार्यग्रहण किया गया और अपीलार्थी को बिना कार्यमुक्त किये आदेशों की प्रतीक्षा में रख दिया गया और आदेश दिनांक 26.03.2021 के द्वारा झालावाड पदस्थापित कर दिया गया तथा आदेश दिनांक 29.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को अजमेर पुनः स्थानान्तरित कर दिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 01.10.2023 को कार्यग्रहण किया। परंतु आलोच्य आदेश के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर रिक्त पद दर्शाते हुये पदस्थापित किया गया है। जबकि अपीलार्थी उक्त पद पर कार्यरत है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण कहीं नहीं किया गया है। इस प्रकार जारी किया गया आदेश विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें तथा अपीलार्थी को कार्यमुक्त न किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन जिला आबकारी अधिकारी के पद पर आबकारी भवन, जयपुर रोड, अजमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को रिक्त पद दर्शाते हुये जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर पदस्थापित किया गया है। जबकि उक्त पद पर अपीलार्थी आदेश दिनांक 05.06.2020 के द्वारा पदस्थापित किया गया था। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री राधेश्याम देलू को जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर के पद पर पदस्थापित किया गया है और उक्त आदेश में रिक्त पद दर्शाते हुये पदस्थापित किया गया है। आलोच्य आदेश में अपीलार्थी के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही अपीलार्थी को अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया है। इस प्रकार उक्त आदेश में हमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन प्रकट नहीं होता है। चूंकि उक्त आलोच्य

आदेश अपीलार्थी के संबंध में जारी किया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः उक्त आलोच्य आदेश में बिना किसी कारण के अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्क में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**